न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, औरैया।

परिवाद संख्या–1746/2023

CNR No. UPAU120033922023

नेहा बनाम सुमित कुमार आदि।

थाना बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–28.08.2024

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना गया।

परिवादिनी का संक्षेप में कथन है कि प्रार्थिनी की शादी विपक्षी सं0–1 सुमित कुमार के साथ दिनांक 12.05.2017 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। शादी में प्रार्थिनी के पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार 3,50,000/–रुपये नगद तथा अपाचे मोटर साइकिल एवे दो लाख रुपये का घर गृहस्थी का सामान तथा 50,000/–रुपये दान उपहार दिये थे, लेकिन उक्त दान दहेज से प्रार्थिनी के पति सुमित कुमार, ससुर ओमकुमार, सास राममूर्ति, जेठ प्रवीण कुमार, जेठानी मीरा संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में 4,00,000/–रुपये की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न करने लगे। दिनांक 15.09.2023 को ससुरालीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मारपीट की गयी तथा मात्र पहने हुए कपडों में पिता के घर छोड़ गये। दिनांक 16.09.2023 को प्रार्थिनी अपने पिता के साथ उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना बिधूना गयी, लेकिन पारिवारिक मामला होने के कारण रिपोर्ट अंकित नहीं की गयी। दिनांक 29.09.2023 को पुलिस अधीक्षक, औरैया रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र प्रेषित किया।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपने बयानों में सशपथपूर्वक कथन किया है कि ''मेरी शादी दिनांक 12.05.2017 को सुमित पुत्र ओमकुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद मैं अपनी ससुराल गयी, पर मेरी ससुराल वाले जिसमें मेरे पति सुमित कुमार, ससुर ओमकुमार, सास राममूर्ति, जेठ प्रवीन कुमार, जेठानी मीरा मुझे दहेज के लिए मारते थे। दहेज में मुझसे चार लाख रुपये मांगते थे। पति मुझे बहुत मारता था। दिनांक 15.09.2023 को मेरे पति व ससुराल के अन्य लोग मुझे बिधूना मेरे घर के पास छोड़ गये। मेरे मायके बिधूना आये हैं, मेरे पति, ससुर, सास, जेठ व जेठानी ने दहेज की मांग की। मेरे पति ने मुझे मारा भी। मेरे पति मुझसे कहते हैं कि साथ में नहीं रखेंगे। यही मेरा बयान है।''

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवादिनी ने स्वयं को तथा धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 रोहित व पी0डब्ल्यू0–2 रणवीर सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने परिवादिनी के कथनों का समर्थन किया है।

प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में परिवादिनी द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, औरैया को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, शपथ पत्र, मूल रजिस्ट्री रसीद एवं एक किता छायाप्रति आधार कार्ड नेहा कुमारी दाखिल किये गये हैं।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद में कहा गया है कि प्रार्थिनी के ससुरालीजन पति सुमित कुमार, ससुर ओमकुमार, सास राममूर्ति, जेठ प्रवीण कुमार, जेठानी मीरा उसकी शादी में दिये गये दहेज से संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में 4,00,000/–रुपये की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न

करते हैं तथा मारपीट करते हैं। परिवादिनी द्वारा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराये गये साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 रोहित व पी0डब्ल्यू0–2 रणवीर सिंह द्वारा परिवाद में उल्लिखित घटना का समर्थन किया गया है। चूंकि परिवादिनी ही स्वयं पीड़िता है। परिवादिनी द्वारा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। जबकि परिवादिनी द्वारा अपने स्वयं के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में कहा कि उसके पति सुमित कुमार, ससुर ओमकुमार, सास राममूर्ति, जेठ प्रवीन कुमार, जेठानी मीरा अतिरिक्त दहेज में चार लाख रुपये की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते हैं व प्रताड़ित करते हैं।

इस प्रकार पत्रावली पर वर्णित तथ्यों, साक्षीगण पी0डब्ल्यू0–1 रोहित व पी0डब्ल्यू0–2 रणवीर सिंह के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 एवं परिवादिनी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला विपक्षीगण सुमित कुमार (पति), ओमकुमार (ससुर), श्रीमती राममूर्ति (सास), प्रवीण कुमार (जेठ) व श्रीमती मीरा देवी (जेठानी) द्वारा परिवादिनी के साथ मारपीट करने, अतिरिक्त दहेज में चार लाख रुपये की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताड़ित करने से सम्बन्धित प्रतीत होता है। ऐसे में विपक्षीगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा–498ए, 323 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध बनना पाया जाता है। तद्नुसार विपक्षीगण सुमित कुमार (पति), ओमकुमार (ससुर), श्रीमती राममूर्ति (सास), प्रवीण कुमार (जेठ) व श्रीमती मीरा देवी (जेठानी) के विरूद्ध धारा–498ए, 323 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण सुमित कुमार (पति), ओमकुमार (ससुर), श्रीमती राममूर्ति (सास), प्रवीण कुमार (जेठ) व **श्रीमती मीरा देवी (जेठानी)** के विरूद्ध **धारा–498ए, 323 भा0दं0सं0** व **धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। अभियुक्तगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 09.10.2024 को पेश हो।

(प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code: UP3441